न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारीः– ओम कसेरा, I.A.S.

प्रकरण संख्या –45/2018 (अपील)

1. कालूलाल आत्मज रामचन्द्र जाति धाकड
2. बद्रीलाल आत्मज रामचन्द्र जाति धाकड
3. शम्भूलाल आत्मज धन्नालाल जाति धाकड
4. शिवनारायण आत्मज धन्नालाल जाति धाकड
5. नन्दलाल आत्मज देवलाल जाति धाकड
6. रमेशचन्द आत्मज देवलाल जाति धकाड

निवासीगण उण्डवा तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा

––अपीलांट

बनाम

1. जानकीलाल आत्मज नारायण जाति चमार
2. रामकरण आत्मज नारायण जाति चमार
3. डाली बाई पुत्री नारायण जाति चमार
4. शांति बाई पत्नि नारायण जाति चमार निवासीगण उण्डवा तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रामगंजमण्डी, जिला कोटा

––रेस्पोडेंट्स

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बनाराजगी निर्णय दिनांक 8.5.2018 न्यायालय तहसीलदार रामगंजमण्डी अन्तर्गत धारा 183–बी रा.का. अधि.

उपस्थित–

1. **श्री जितेन्द्र नामा, अभिभाषक अपीलान्ट**
2. **श्री घनश्याम नागर, अभिभाषक रेस्पो0**

निर्णय

दिनांक 26.02.2020

1. अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रामगंजमण्डी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183–बी के सम्बन्ध में प्रकरण सं0 9/2018 में दिनांक 08.05.2018 को निर्णय पारित किया कि– "अप्रार्थीगण अपीलांट 1,3,4,5,6 का अप्रार्थी रेस्पोडेन्ट की भूमि ख0नं0 1639/0.01 हे. चाह पर अवैध कब्जा है तथा ख.नं. 1640 पर निम्न प्रकार अप्रार्थीगण का अवैध कब्जा है (1) कालू/रामचन्द्र धाकड का 0.14 हे. पर, (2) शम्भूदयाल धाकड का 0.08 हे. पर (3) शिवनारायण धाकड का 0.08 हे0 पर, (4) नन्दलाल धाकड का 0.12 हे. पर (5) रमेशचन्द कधाकड का 0.09 हे. पर अवैध कब्जा है । इस प्रकार ख.नं. 1639/0.01 हे0 चाह तथा ख0नं0 1640 के अतिकमित रकबा 0.51 हे0 पर अप्रार्थीगण अपीलांट कम सं. 1,3,4,5,6 का कब्जा होने से बेदखल करने के आदेश दिये जाते है ।" बाबत आदेश पारित किया गया ।
2. उक्त निर्णय की अप्रसन्नता से यह अपील दिनांक 12.06.2018 को इस न्यायालय में पेश की गई है कि प्रार्थीगण रेस्पोडेन्टान ने एक प्रार्थना पत्र धारा 183–बी आर.टी.

Scanned by CamScanner

एक्ट का प्रस्तुत कर कथन किया कि खसरा नं. 1625 की 0.18 हे0 खसरा नं. 1639 की 0.01 हे., खसरा नं. 1640 की 0.88 हे. भूमि वाके ग्राम उन्डवा तहसील रामगंजमण्डी प्रार्थीगण के खाते दर्ज चली आ रही है जिस पर अप्रार्थीगण अपीलान्टान ने अवैध रूप से पत्थर डाल कर बाडे बना लिये व कब्जा कर दिया है, कब्जा हटाया जाकर प्रार्थीगण को कब्जा दिलवाया जावें । उक्त आवेदन का प्रतिपक्षीगण अपीलान्टान ने जवाब पेश कर आवेदन में अंकित तथ्य गलत होना बताया तथा आलेखित किया कि उक्त आराजी पर आवंटन के समय से व बाद में आज तक प्रार्थीगण रेस्पो0 का कभी भी कब्जा नहीं रहा ना ही प्रार्थीगण ने काश्त की, लगातार आज से 60 वर्षो पूर्व से अप्रार्थीगण अपीलान्टान ही काबिज होकर काश्त करते आ रहे है । इस सम्बन्ध में पटवारी हल्का की रिपोर्ट में उक्त भूमि पर प्रार्थीगण का कोई कब्जा नहीं माना व उक्त भूमि पर अप्रार्थीगण का ही कब्जा माना गया जिसको अवैध रूप से अतिक्रमी बताया गया है । किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने केवल मात्र उक्त रिपोर्ट पर विश्वास कर तथ्य यह मान कर कि उक्त विवादित भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है जिस पर अप्रार्थीगण अतिक्रमी के रूप में काबिज है जिनको बेदखल किया जाना आवश्यक होना मानते हुये प्रतिपक्षीगण को बेदखल किये जाने व प्रार्थीगण को कब्जा दिये जाने बाबत आदेश दिनांक 8.5.2018 को प्रदान कर दिया । अधीनस्थ न्यायालय का उक्त निर्णय विधि न्याय एवं संचिका में प्राप्त सिद्वी के सर्वथा विपरीत है । अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थीगण रेस्पोडेन्टान का प्रार्थना पत्र धारा 183–बी आर.टी.एक्ट का स्वीकार कर प्रतिपक्षीगण अपीलान्टान को ग्राम उन्डवा तहसील रामगंजण्डी की खसरा नं. 1639 की 0.01 हे0, ख0नं0 1640 की 0.51 हे0 भूमि से बेदखल करने का निर्णय पारित करने में त्रुटि की है । अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर कतई ध्यान नहीं दिया कि ग्राम उण्डवा तहसील रामगंजमण्डी की खसरा नम्बर 1283 की 6 बीघा 12 बिस्वा भूमि का आवंटन प्रार्थीगण रेस्पो0 के पिता व पति नारायण जी को दिनांक 9.2.76 को किया गया जो गलत है, क्योंकि नारायण जी ने ख0नं0 1282 की भूमि को आवंटन करने हेतु आवेदन दिया था किन्तु गलती से उसके पास की भूमि ख0नं0 1283 की भूमि जिस पर अपीलान्टान का कब्जा काश्त चला आ रहा था, की मौके की जांच किये बिना आवंटन कर दी जिसके बाद सेटलमेंट में नये ख0नं0 1626 की 0.18 हे0, ख0नं0 1639 की 0.01 हे0, ख0नं0 1626 की भूमि में सड़क निकल गयी व शेष भूमि पर अपीलान्टान का कब्जा काश्त पिछले 60 वर्षो से चला आ रहा है । इस कारण उक्त आवंअन को धरा 14(4) की कार्यवाही के तहत खारिज किये जाने का आवंदन पत्र जिला कलेक्टर कोटा को पेश किया हुआ है । जो जैरकार है इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने आवेदन स्वीकार कर बेदखली के आदेश पारित करने में त्रुटि की है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 8.5.2018 निरस्त फरमाया जावें तथा प्रार्थीगण रेस्पो0 का प्रार्थना पत्र धारा 183–बी आर0टी0एक्ट सव्यय खारिज फरमाया जावें ।

3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मंगवाई गई । वकील उभयक्ष की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलान्ट द्वारा अपनी बहस में अपील मेमों के तथ्यों को दौहराते हुए जाहिर किया कि प्रार्थीगण रेस्पोडेन्टान द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 183–बी आर.टी.एक्ट में प्रार्थीगण रेस्पो0 की भूमि खसरा नं. 1625 की 0.18 हे0 खसरा नं. 1639 की 0.01 हे., खसरा नं. 1640 की 0.88 हे. भूमि वाके ग्राम

Scanned by CamScanner

उन्डवा तहसील रामगंजमण पर अप्रार्थीगण अपीलान्टान का कब्जा मानते हुए अवैध रूप से पत्थर डाल कर बाडे बना लिये व कब्जा करना मानते हुए अप्रार्थीगण अपीलांट का कब्जा हटाया जाकर प्रार्थीगण रेस्पो0 को दिलाने बाबत आदेश पारित किया है, जबकि उक्त भूमि पर प्रार्थी रेस्पो0 का कभी कब्जा रहा ही नहीं है, यह भूमि प्रार्थीगण रेस्पो0 को आवंटन हीं गलत तरीके से की गई है, क्योंकि उक्त भूमि पर लगातार 60 वर्षो से अप्रार्थीगण अपीलांट ही कब्जा काश्त करते आ रहे है । ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का आदेश त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त योग्य है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 8.5.2018 निरस्त फरमाया जावें ।

5. वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम उन्डवा की भूमि खसरा नं. 1625 की 0.18 हे0, खसरा नं. 1639 की 0.01 हे., खसरा नं. 1640 की 0. 88 हे. भूमि प्रार्थी रेस्पो0 को आवंटितशुदा भूमि होकर खातेदारी में दर्ज रेकार्ड है, अनुसूचित जाति के व्यक्ति की भूमि पर सवर्ण का कब्जा होने पर नियमानुसार अन्तर्गत धारा 183–बी के तहत कब्जा अनुसूचित जाति के सदस्य को दिलाने का प्रावधान है । अपीलांट का कथन कि आवंटित भूमि पर उनका कब्जा है, इस आधार पर रेस्पो0 के पक्ष में किये गये आवंटन को नियम विरूद्व बताना कानूनन ठीक नहीं होकर आधारहीन है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कानूनी प्रावधानों के अन्तर्गत जेर अपील आदेश पारित किया गया है जिसमें कोई त्रुटि नहीं है । अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावें ।

6. हमने विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया । यह अपील तहसीलदार रामगंजमण्डी के आदेश दिनांक 8.05.. 2018 अन्तर्गत धारा 183–बी रा0टी0एक्ट 1955 के विरूद्व अन्दर मियाद पेश की गई है । रेस्पोडेन्ट के तर्को से हम सहमत है कि अनुसूचित जाति के व्यक्ति की भूमि सवर्ण का कब्जा होने पर नियमानुसार अन्तर्गत धारा 183–बी के तहत कब्जा अनुसूचित जाति के सदस्य को दिलाने का प्रावधान है । अपीलांट का का यह तर्क कि आवंटित भूमि पर उनका कब्जा है, केवल कब्जे के आधार पर आवंटन को गलत बताना सही नहीं है । तथा अपीलांट का रेस्पोडेन्टगण की भूमि पर कब्जा होने से तहसीलदार रामगंजमण्डी द्वारा अन्तर्गत धारा 184–बी रा0टी0ए0 के तहत कार्यवाही करते हुए आदेश दिनांक 8.5.2018 से अप्रार्थी अपीलांट को बेदखली की कार्यवाही की गई है उसमें हम कोई दोष नहीं मानते है । अतः अपील सारहीन होने से खारिज योग्य है ।

7. परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट सारहीन होने से अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 08.05.2018 अन्तर्गत धारा 183–बी आर0टी0एक्ट यथावत रखा जाता है ।

8. निर्णय आज दिनांक 26.02.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(ओम कसेरा)
जिला कलक्टर, कोटा

Scanned by CamScanner